न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री भंवर सिंह निवासी नन्दावट, टोगी, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 11 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 17.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये पत्र क्रमांक RTI /2025/1915—16 दिनांक 10.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 तथा 02 की सूचना के संबंध में कार्यालय तहसील भीम में प्राप्त ऑफलाईन सीमाज्ञान के आवेदन 01.01.2024 से दिनांक 01.07.2024 तक आवेदनों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। तथा सीमाज्ञान के आवेदन का ऑनलाईन कार्य वर्तमान में आदिनांक तक संधारित नहीं किया जाने से अपीलार्थी को प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाना अपेक्षित नहीं है। बिन्दु संख्या 02 के संबंध में नामान्तरण दर्ज करने में पटवारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं जवाबदेही से संबंधित दिशा—निर्देशों कि प्रमाणित प्रति चाही गई जो राज्य सरकार से संबंधित होने से इस कार्यालय से उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है, बिन्दु संख्या 03 के संबंध में खसरा संख्या 2362/1186, ग्राम नन्दावट, पटवार मण्डल टोगी, भू.अभि.नि.भीम के सम्वत् 2022 से सम्वत 2070 तक कि जमाबन्दी नकल की प्रमाणित प्रति संलग्न है, बिन्दु संख्या 04 के संबंध में खसरा संख्या 661, ग्राम नन्दावट, पटवार मण्डल टोगी, भू.अभि.नि.भीम के सम्वत 2022 से संवत 2070 तक क जमाबन्दी नकल की प्रमाणित प्रति संलग्न है। तथा बिन्दु संख्या 05 के संबंध में कृषि भूमि पर बिना परिवर्तन आवासीय निर्माण करने हेतु जारी नियमों एवं प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा चाहा गया जो कि इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाना अपेक्षित नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 1915—16 दिनांक 10.03.2025 से उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)